

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता जोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 769 सन 2021

अनवान :-

1. चन्द्र सिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर हाल निवासी 40 नागरी कोलोनी हनुमानगढ रोड श्री गंगानगर

वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड संख्या 16 फेफाना तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश राठौड अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 42/42 की कुल 8.3490 हैक् रोही मौजा चक 5 ए बाराणी के खाता संख्या 66/62 की कुल 2.2770 हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है तथा चक 5 ए बाराणी के खाता संख्या 67/63 की कुल 3.2890 हैक् भूमि वादी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है।

वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खातों में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिन्होंने भूमि काश्त की सुविधा, सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है तथा बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुस्तर दर्ज है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि संयुक्त खातों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिन्होंने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया। एवं पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 42/42 की कुल 8.3490 हैक् रोही मौजा चक 5 ए बाराणी के खाता संख्या 66/62 की कुल 2.2770 हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है तथा चक 5 ए बाराणी के खाता संख्या 67/63 की कुल 3.2890 हैक् भूमि वादी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों सगे भाई हैं जिन्होंने भूमि काशत एवं सिचाई सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काशत करते हैं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर घसपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिग्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिग्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी (चन्द्र सिंह) का राजस्व रिकार्ड के चक 5 A बारानी पटवार हल्का फेफाना बी के खाता संख्या नया 67 एवं पुराना 63 में पत्थर नम्बर 340 / 384 के मुरबा नम्बर 35 के किला नम्बर 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 तादादी 13 बीघा अर्थात् 3.2890 हेक्टेयर बारानी कृषि भूमि तथा चक 6 के एन एन के खाता संख्या नया 42, पुराना 42 के पत्थर नम्बर 339 / 388 के मुरबा नम्बर 79 की किला नम्बर 6,7,8,12,13,14,15,16,17,18, की 10 बीघा बारानी कृषि भूमि अर्थात् 2.5300 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा पत्थर नम्बर 340 / 379 के मुरबा नम्बर 34 की किला नम्बर 1,2,8,9 कुल 4 बीघा अर्थात् 1.1120 हेक्टेयर कृषि भूमि (नहरी 0.9620 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं गैर मुमकिन रास्ता की भूमि किला नम्बर 1/1 एवं 2/1 की कुल 0.0500 हेक्टेयर कृषि भूमि) कुल तादादी 14 बीघा अर्थात् 3.642 है० पर इस प्रकार दोनों चक 5 A बारानी एवं चक 6 के एन एन की कुल 27 बीघा अर्थात् 6.931 है०

ख. प्रतिवादी संख्या 1 (महावीर सिंह) गद संख्या 3 में वर्णित सयुक्त खाता की कृषि भूमि में से पूर्व में वादी के साथ बटवारा की गई कृषि भूमि के बटवारे के अनुक्रम में महावीर सिंह उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अपने हिस्से एवं स्वामित्वाधीन 5 A बारानी के खाता संख्या नया 67 एवं पुराना 62 पत्थर नम्बर 346 / 380 के मुरबा नम्बर 4 किला नम्बर 5, 6, 15 तादादी 3 बीघा अर्थात् 0.6580 हेक्टेयर बारानी कृषि भूमि एवं पत्थर नम्बर 347 / 380 के मुरबा नम्बर 5 की किला नम्बर 1,2,9,10,11,12 तादादी 6 बीघा अर्थात् 1.4660 कृषि भूमि एवं पत्थर नम्बर 0 के मुरबा नम्बर 176/3 के किला नम्बर 0/1 गैर मुमकिन रास्ता की 0.1520 है० भूमि कुल तादादी बारानी कृषि भूमि 2.2760 है० कृषि भूमि मय गैर मुमकिन रास्ता की कृषि भूमि एवं पटवार हल्का फेफाना बी के तहसील नोहर के चक 6 के एन एन खाता संख्या नया 42, पुराना 42 के पत्थर नम्बर 339 / 378 के मुरबा नम्बर 28 की नहरी कृषि भूमि के किला नम्बर 16,23,24,24 की 4 बीघा अर्थात् कुल 1.012 हेक्टेयर कृषि भूमि (0.9600 हेक्टेयर एवं गैर मुमकिन खाता की भूमि किला नम्बर 16/1 एवं 25/1 की 0.0520 हेक्टेयर), पत्थर नम्बर 339 / 379 के मुरबा नम्बर 33 की नहरी बारानी कृषि भूमि किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18,23,24 की 13 बीघा अर्थात् कुल 3.289 हेक्टेयर कृषि भूमि (3.212 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं गैर मुमकिन खाता की भूमि किला नम्बर 5/1,6/1,15/1 की कुल 0.0770 हेक्टेयर कृषि भूमि), पत्थर नम्बर 340 / 378 के मुरबा नम्बर 27 के किला नम्बर 20,21 कुल 2 बीघा अर्थात् 0.5060 हेक्टेयर नहरी कृषि भूमि की तादादी 19 बीघा 4.807 है० कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाता भूमि अर्थात् एवं दोनों चक चक 5 A बारानी एवं चक 6 के एन एन की कुल 28 बीघा अर्थात् 7.083 है० नहरी बारानी कृषि भूमि मय गैर मुमकिन

भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिग्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधीक्षक (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट - फेफाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. चन्द्र सिंह पुत्र भैरु सिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर हाल निवासी 40 नागौरी कोलोनी हनुमानगढ रोड श्री गंगानगर

वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड संख्या 16 फेफाना तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 769 सन 2021 निर्णय दिनांक- 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि वादी (चन्द्र सिंह) का राजस्व रिकॉर्ड के चक 5 A बारानी पटवार हल्का फेफाना वी के खाता संख्या नया 67 एवं पुराना 63 में पत्थर नम्बर 340 / 384 के मुरबा नम्बर 35 के किला नम्बर 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 तादादी 13 बीघा अर्थात 3.2890 हेक्टेयर बारानी कृषि भूमि तथा चक 6 के एन एन के खाता संख्या नया 42,पुराना 42 के पत्थर नम्बर 339 / 388 के मुरबा नम्बर 79 की किला नम्बर 6,7,8,12,13,14,15,16,17,18, की 10 बीघा बारानी कृषि भूमि अर्थात 2.5300 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा पत्थर नम्बर 340 / 379 के मुरबा नम्बर 34 की किला नम्बर 1,2,8,9 कुल 4 बीघा अर्थात 1.1120 हेक्टेयर कृषि भूमि (नहरी 0.9620 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं गैर मुमकिन रास्ता की भूमि किला नम्बर 1/1 एवं 2/1 की कुल 0.0500 हेक्टेयर कृषि भूमि) कुल तादादी 14 बीघा अर्थात 3.642 है० पर इस प्रकार दोनों चक 5 A बारानी एवं चक 6 के एन एन की कुल 27 बीघा अर्थात 6.931 है०

ख. प्रतिवादी संख्या 1 (महावीर सिंह) मद संख्या 3 में वर्णित सयुक्त खाता की कृषि भूमि में से पूर्व में वादी के साथ बंटवारा की गई कृषि भूमि के बंटवारे के अनुक्रम में महावीर सिंह उमरोक्त राजस्व रिकॉर्ड के अपने हिस्से एवं स्वामित्वधीन 5 A बारानी के खाता संख्या नया 67 एवं पुराना 62 पत्थर नम्बर 346 / 380 के मुरबा नम्बर 4 किला नम्बर 5,6,15 तादादी 3 बीघा अर्थात 0.6580 हेक्टेयर बारानी कृषि भूमि एवं पत्थर नम्बर 347 / 380 के मुरबा नम्बर 5 की किला नम्बर 1,2,9,10,11,12 तादादी 6 बीघा अर्थात 1.4660 कृषि भूमि एवं पत्थर नम्बर 0 के मुरबा नम्बर 176/3 के किला नम्बर 0/1 गैर मुमकिन रास्ता की 0.1520 है० भूमि कुल तादादी बारानी कृषि भूमि 2.2760 है० कृषि भूमि मय गैर मुमकिन रास्ता की कृषि भूमि एवं पटवार हल्का फेफाना वी के तहसील नोहर के चक 6 के एन एन खाता संख्या नया 42,पुराना 42 के पत्थर नम्बर 339 / 378 के मुरबा नम्बर 28 की नहरी कृषि भूमि के किला नम्बर 16,23,24,24 की 4 बीघा अर्थात कुल 1.012 हेक्टेयर कृषि भूमि (0.9600 हेक्टेयर एवं गैर मुमकिन खाला की भूमि किला नम्बर 16/1 एवं 25/1 की 0.0520 हेक्टेयर) . पत्थर नम्बर 339 / 379 के मुरबा नम्बर 33 की नहरी बारानी कृषि भूमि किला नम्बर 3,4,5,6,7,8,13,14,15,17,18,23,24 की 13 बीघा अर्थात कुल 3.289 हेक्टेयर कृषि भूमि (3.212 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं गैर मुमकिन खाला की भूमि किला नम्बर 5/1,6/1,15/1 की कुल 0.0770 हेक्टेयर कृषि भूमि), पत्थर नम्बर 340 / 378 के मुरबा नम्बर 27 के किला नम्बर 20,21 कुल 2 बीघा अर्थात 0.5060 हेक्टेयर नहरी कृषि भूमि की तादादी 19 बीघा 4.807 है० कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला भूमि अर्थात एवं दोनों चक चक 5 A बारानी एवं चक 6 के एन एन की कुल 28 बीघा अर्थात 7.083 है० नहरी बारानी कृषि भूमि मय गैर मुमकिन

भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलमन 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट- फेफाना